राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (61)ग्राविवि/ग्रुप–5/मैसन मिस्त्री /2015–16/पार्ट–2/ जयपुर, दिनांक 04 फरवरी, 2019

संयोजक एवं महाप्रबन्धक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान,
बैंक ऑफ बडौदा, दुर्गापुरा, जयपुर।
(slbc.rz@bankofbaroda.com 141-2727119, 2727126)

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत RSETI के माध्यम से मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के क्रम में।

प्रसंगः– मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक 26.6.18 का कार्यवाही विवरण दिनांक 28.6.18 एवं दिनांक 21.1.19 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 22.1.19

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31.5.18 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के अंतर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु RSETI को अनुमत कर पत्र दिनांक 18.6.18 द्वारा राज्य को 20596 के लक्ष्य आवंटित किये गये। योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की सहमति उपरान्त RSETI के माध्यम से सम्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त कार्यक्रम की समीक्षा हेतु दिनांक 21.1.19 को राज्य निदेशक, RSETI, IGPRS & GVS एवं जिले के आवास प्रभारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित कर उक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के क्रम में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के मैसन प्रशिक्षण सलाहकार की उपस्थिति में समाधान कर दिनांक 1.2.19 से 10.2.19 तक मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु CSDCI के द्वारा दक्ष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करवाकर ग्रामीण मैसन प्रशिक्षण (RMT) / RPL प्रशिक्षण दिनांक 11.2.19 से राज्य के सभी जिलों के RSETI में प्रारम्भ करने का निर्णय लेकर RSETI को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त की तैयारी के क्रम में जिला कलक्टर जिला समस्त को पत्र दि. 22.1.19 के द्वारा जिले के RSETI को दिनांक 31.1.19 तक RPL प्रशिक्षण हेतु अप्रशिक्षत मैसन (प्रशिक्षणार्थी) की सूची उपलब्ध कराने हेतु एवं RSETI को प्रशिक्षण हेतु दिशा –निर्देशानुसार देय राशि की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान भी दिनांक 31.1.19 तक सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में राज्य के 32 जिलों से प्राप्त 6905 प्रशिक्षणार्थियो की सूची विभिन्न RSETI को जिलो द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी संकलित सूची को विभागीयपत्र दिनांक 1.2.19 के द्वारा राज्य निदेशक RSETI को भी प्रेषित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रावधान के अनुसार RSETI को देय राशि के 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान हेतु भी निर्देशित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के क्रियान्वयन की रैकिंग हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डो में मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 100 अंक में से 5 अंक निर्धारित किये गये है।

RSETI द्वारा अब तक मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाने के फलस्वरूप राज्य की देश में रैकिंग तृतीय के स्थान पर पांचवा स्थान हो गया है एवं दिनांक 11.2.19 से प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किये जाने पर राज्य की रैकिंग पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है।

अतः आप अपने स्तर से निदेशक, RSETI व जिले के RSETI प्रभारियो को इस बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान कराकर दिनांक 11.2.19 से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की सुनिश्चिता करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त निदेशक, IGPRS & GVS जयपुर।
5. श्री कमल छाबडा, कंसलटेन्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निदेशक, National Academy of RUDSETI, 2nd floor, Chitrapur Bhavan, 15 th Cross, 8 th main, malleshwaram, Bangalore - 560055 (info@rudsetacademy.org, pitchurapuri@gmail.com)
7. राज्य निदेशक, RSETI जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि